



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236968
CG-DL-E-01072022-236968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2806]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ 9, 1944

No. 2806]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2949(अ).—केन्द्र सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिहार राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ़ (असम) तक वाया सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये ;

और केन्द्र सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है तथा जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, इस अधिसूचना का भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन (राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं) से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, भागलपुर, बिहार सरकार को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकते हैं।

अनुसूची

जिला: भागलपुर

राज्य: बिहार

क्रम संख्या	अंचल	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	पीरपैंती	सिआर मारी-121	467	00	09	50
			480	00	12	60
			479	00	01	90
			490	00	04	70
			491	00	07	60
			489	00	18	30
			492	00	00	20
			493	00	00	20
			456	00	04	50
			457	00	02	40
			455	00	07	80
			454	00	00	90
			411	00	00	20
			446	00	03	00
			445	00	02	60
			414	00	09	70
			415	00	04	60
			416	00	01	30
			421	00	01	80
			420	00	08	00
			419	00	00	30
			424	00	08	80
			425	00	03	20
			426	00	02	90
			427	00	01	10
			431	00	01	20
2	पीरपैंती	मजरोही-120	363	00	02	30
			364	00	13	40
			365	00	00	30
			367	00	11	20
			459	00	06	40
			370	00	05	50

371	00	00	50
373	00	17	20
374	00	01	80
385	00	00	20
382	00	03	40
383	00	00	20
381	00	05	90
380	00	04	00
379	00	04	30
378	00	03	10
338	00	07	60
337	00	01	90
388	00	53	70
307	00	04	20
390	00	21	60
270	00	73	10

[फा. सं. आर-11025(14)/3/2021-ओआर-1/ई-38524]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2949(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Paradip (Odisha) to Numaligarh (Assam) Via Siliguri (West Bengal) a pipeline should be laid in State of Bihar by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in Land under which the said pipelines are proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the annexed schedule may, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notification in the Extraordinary Gazette of India (copies of the notification published in the gazette would be made available to the general public), object in writing to the Acquisition of the Right of User therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Deputy Collector Land Reforms, Sadar, Bhagalpur, Govt of Bihar.

SCHEDULE

District: Bhagalpur

State: Bihar

Sl. No.	Anchal	Mouza Name & Thana No.	Plot No.	Area		
				Hec	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7
1	Pirpainti	Siarmari-121	467	00	09	50
			480	00	12	60
			479	00	01	90
			490	00	04	70
			491	00	07	60
			489	00	18	30
			492	00	00	20
			493	00	00	20
			456	00	04	50
			457	00	02	40
			455	00	07	80
			454	00	00	90
			411	00	00	20
			446	00	03	00
			445	00	02	60
			414	00	09	70
			415	00	04	60
			416	00	01	30
			421	00	01	80
			420	00	08	00
			419	00	00	30
			424	00	08	80
			425	00	03	20
			426	00	02	90
			427	00	01	10
			431	00	01	20
2	Pirpainti	Majrohi-120	363	00	02	30
			364	00	13	40
			365	00	00	30
			367	00	11	20
			459	00	06	40
			370	00	05	50
			371	00	00	50
			373	00	17	20

374	00	01	80
385	00	00	20
382	00	03	40
383	00	00	20
381	00	05	90
380	00	04	00
379	00	04	30
378	00	03	10
338	00	07	60
337	00	01	90
388	00	53	70
307	00	04	20
390	00	21	60
270	00	73	10

[F. No. R-11025(14)/3/2021-OR-I (E-38524)]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.